



उ० प्र० जल निगम नगरीय

प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226 001

पत्रांक : 1605/अ-५/131-००34/2021

दिनांक 11-10-2021

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्र)
उ० प्र० जल निगम (नगरीय)
ई-मेल द्वारा।

विषय:- अतिरिक्त मुख्य सचिव नगर विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 01.10.2021 द्वारा विभिन्न स्थानीय निकायों में बाडिशापिंग के अन्तर्गत भेजे गये 1238 कर्मियों को कार्यमुक्त करने के संबंध में।

महोदय

आप अवगत है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव नगर विकास विभाग के पत्रांक 211/नौ-6-21-6मिस/21 दिनांक 01.10.2021 द्वारा उ० प्र० जल निगम के विभिन्न कार्यालयों में तैनात निकर्म0फी0 को बाडिशापिंग के अन्तर्गत निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय में भेजा गया है।

आज दिनांक 11.10.2021 को प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्धक (प्रशासन) द्वारा निर्देश दिये गये कि बाडिशापिंग के अन्तर्गत अन्य स्थानीय निकायों में भेजे गये कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित कराये।

संलग्नक:- 1238 कर्मियों की सूची एवं

शासनादेश दिनांक 01.10.2021 की साफ्ट कापी।

भवदीय

(सत्य प्रकाश)

मुख्य अभियन्ता (अ-4)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ई-मेल द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ० प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण), लखनऊ को इस संबंध में कि अपने स्तर से निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ० प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण)।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ० प्र० जल निगम (नगरीय/ग्रामीण)।
6. अधिशासी अभियन्ता, ई०डी०पी० सेल उ० प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ को उ० प्र० जल निगम की वेब साइट में अपलोड करने हेतु साफ्ट कापी के साथ।

मुख्य अभियन्ता (अ-4)